

पत्रांक-श्रम क० सं०-09/2018-391

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उष, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुरेन्द्र सिंह उर्फ भोधू सिंह, श्री गंगा प्रसाद सिंह, सामान्य	श्रीमती मंजू देवी(पत्नी)	609/06.07.18	ग्रा०-मल्हीपुर दक्षिणी, पो०-बी०टी०पी०एस०, धा०+प्र०-बरौनी, बेगूसराय	38300110 015905	Bihar gramian BANK, मल्हीपुर UCBAORRBBKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, गृह निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० सुबोध झा, श्री नागेन्द्र झा, सामान्य	श्रीमती ज्योति देवी(पत्नी)	608/06.07.18	ग्रा०+पो०-राजापुर, धा०+प्र०-बछवाड़ा, बेगूसराय	12330110 045633	UCO BANK, फतेहा, UCBA0001233	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रक ड्राईवर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० पप्पु कुमार, श्री श्याम सुन्दर कुमार, सामान्य	श्रीमती देविका देवी(माता)	661/25.07.18	ग्रा०-झमटिया, पो०+धा०+प्र०-बछवाड़ा, बेगूसराय	04920100 011038	UCO Bank, बछवाड़ा, बेगूसराय, UCBA0000492	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० पिंकु पासवान, श्री विन्देश्वरी पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सुनिता देवी(पत्नी)	662/25.07.18	ग्रा०+पो०-नागदह, धा०-मुफसिल, प्र०-बेगूसराय सदर, बेगूसराय	07350110 077658	यूको बैंक, IOC टाउनशिप, UCBA0000735	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रक ड्राईवर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 400000/-

(चार लाख रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-09/2018 के पृष्ठ-15/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-09/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-09/2018-391


पटना, दिनांक :-21-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, बेगूसराय को उनके पत्रांक 493 दिनांक 31.05.18 एवं 572 दिनांक 26.06.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को उनके पत्रांक 608, 609 दिनांक 06.07.18, 661, 662 दिनांक 25.07.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।